| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 15/2/21 | प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब हो। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थी दिनांक 09.03.2021 को पेश हो।<br><br>न्याय निर्णयन अधिकारी एव अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर | 85-87 15.02.21 |
| 09-03-21 | परिवादी की ओर से अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी सं. 01, अप्रार्थी सं. 02 व 03 के प्रतिनिधि उपस्थित। यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 की फर्म/प्रतिष्ठान पर निरीक्षण दिनांक **20.06.2019** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **चाय ब्राण्ड सनसिटी** को मिलावट/अवमानक स्तर का होने के शक पर नियमानुसार **250–250 ग्राम के आठ पैकेट** वास्ते नमूना संख्या **पी–1043** खरीद कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्राप्त किया एवं प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **चाय ब्राण्ड सनसिटी** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **चाय ब्राण्ड सनसिटी** की पैकिंग एवं लेबलिंग में खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकिंग एवं लेबलिंग) रेग्युलेशन 2011 के अनुच्छेद 2.2.2(6) व 2.2.2(8) का उल्लंघन होना मानते हुए नमूना **मिथ्याछाप (Misbranded)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई। अप्रार्थीगण द्वारा इसके विरूद्ध कोई जवाब प्रतिरक्षण पेश नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।<br>अप्रार्थी सं. 02 व 03 के प्रतिनिधि ने स्वयं उपस्थित होकर परिवाद का मौखिक जवाब प्रकट कर जुर्म स्वीकारोक्ति का निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत उसका यह प्रथम अपराध है तथा अप्रार्थी द्वारा रेग्युलेशन की पालना में भविष्य में लेबल पर समस्त आवश्यक सुचनायें अंकित की जावेगी एवं भविष्य में इसकी पुनरावृति नही करेंगा एवं लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर यह जुर्म स्वीकार कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण मे अप्रार्थीगण के विरूद्व सहानुभूति रखते हुए कम से कम जुर्माना अधिरोपित किया जावें।<br>प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थो से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों एवं निर्धारित रेग्येलेशन का उल्लंघन मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है, किन्तु अप्रार्थी ने लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकारोक्ति प्रस्तुत करते हुए यदि सुधार ... भविष्य मे इस अपराध की पुनरावृति नही किये जाने का ... किया है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध इस प्रथम अपराध प्रकरण मे सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कारित अपराध के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत रूपये 5,000/– की जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।<br><br>न्याय निर्णयन अधिकारी एव अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:55:52 IST
Reason: SelfAttested